न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

आपूर्ति अपील सं0– 06 / 2017

जीत नारायण शर्मा बनाम बिहार सरकार

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 .....से .....

जिला – रोहतास .....नं0– 06 सन् 2017

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.11.17	यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति सं0– 04 / 2007 ग्राम पंचायत शिवसागर प्रखण्ड शिवसागर के आपूर्ति वाद सं0– 16 / 2016–17 में पारित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण आदेश दिनांक 25.02.2017 (ज्ञापांक 61 / आ0, दिनांक 28.02.2017) के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। स्थानीय मुखिया की शिकायत पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिवसागर ने दिनांक 19.09.2016 को अपीलार्थी के व्यवसायिक परिसर की जॉच किया तो दुकान पर बोर्ड नहीं लगा था न ही भंडार को प्रदर्शित किया गया। उनके पुत्र द्वारा उपभोक्ताओं को माह सितम्बर, 2016 का राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। उपभोक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को दो किलो अनाज कम दिया गया है तथा 15–20 अधिक लिया जाता है। जिसे उसका पुत्र ने स्वीकार किया जिसका विडियोग्राफी भी किया गया है। माह अगस्त, 2016 का राशन बाजार में बेच देने का आरोप उपभोक्ताओं ने लगाया। जॉच के क्रम में राशन कार्ड की जॉच करने पर उपभोक्ताओं का आरोप सत्य पाया गया। जॉच प्रतिवेदन के साथ उपभोक्ताओं का बयान तथा राशन कार्ड की छाया प्रतियॉ संलग्न है। उपरोक्त आरोपों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने पत्रांक 488 / आ0, दिनांक 03.10.16 द्वारा अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग किया जिसके संदर्भ में अपीलार्थी ने दिनांक 07.10.16 को अपना कारण–पृच्छा दिया है जिसमें कहा गया है कि बोर्ड ओरियानी में टंगा था हो सकता है नजर न पड़ा हो। भंडरण प्रदर्शित था जो खल्ली से लिखा था लेकिन बरसात के कारण नमी से साफ नहीं दिखाई पड़ता था। विवरण पंजी में आपूर्ति सामान की मात्रा एवं मूल्य लिखकर उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर कराया जाता है। कभी भी कम वनज नहीं देता हूँ न ही अधिक मूल्य लेता हूँ। माह अगस्त, 2016 का राशन दिनांक 22.08.2016 को हुआ था। दिनांक 23.–31 अगस्त, 2016 तक विवरण कर दिया गया था। धनवंती कुँवर एवं लाल बहादूर राम सितंबर माह के विवरण के साथ अगस्त माह का भी सामान लिए हैं। अगस्त माह का सब वितरण हो चुका है। इन्हीं कथनों के साथ	

कारण–पृच्छा के साथ राशन कार्ड स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। कारण–पृच्छा के साथ राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना वितरण–पंजी, पूर्वीकता प्राप्त गृहस्थी योजना खाद्यान्न वितरण पंजी भी संलग्न है।

पत्रांक 535/आ0, दिनांक 25.11.2016 ,ारा कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में पुनः कारण–पृच्छा की मांग किया गया जिसके आलोक में दिनांक 07.01.2017 को कारण–पृच्छा दिया गया है जिसमें पूर्व कारण–पृच्छा का सारांश है साथ में कुछ उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर युक्त बयान संलग्न है।

अपील आधार पत्र में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य दोनों से त्रुटिपूर्ण है। कारण–पृच्छा नोटिस के साथ जॉच प्रतिवेदन एवं उपभोक्ताओं का बयान संलग्न नहीं था। PDS Control Order 2016 के अनुच्छेद 27(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन करके आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश पारित करने के पूर्व निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जो नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। आक्षेपित आदेश करने का अवसर नहीं दिया जो नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। आक्षेपित आदेश अस्पष्ट एवं मुखरित नहीं है। निम्न न्यायालय ने इस बिन्दू पर विचार ही नहीं किया कि जो उपभोक्ता अगस्त, 2016 में उठाव किए थे, वे सितम्बर 2016 में उठाव किए। मुखिया के मेल में आकर जॉच प्रतिवेदन दिया गया है और उसी पर विश्वास करके निम्न न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया है। इन्हीं आधारों पर आक्षेपित आदेश निरस्त कर अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के नियमन के अनुसार कारण–पृच्छा नोटिस के साथ आरोप एवं उपभोक्ताओं के बयान की प्रति संलग्न नहीं था तथा निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को उल्लंघन है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि माह अगस्त, 2016 का खाद्यान्न खुले बाजार में बेच देने का आरोप है जो गम्भिर है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों की विवेचना किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने बचाव में सुनवाई का अवसर नहीं दिया है।

ऐसी स्थिति में अपील के गुण–दोष पर बिना विचार किए अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह अपने साक्ष्य में जो भी कागजात जमा करना चाहता है उसकी मूल

प्रति निम्न न्यायालय में जमा करे तथा निम्न न्यायालय अपीलार्थी को सुनवाई का पयाप्त अवसर देने के पश्चात्विधिक प्रावधानों, नियमनों के अनुरूप प्रत्येक आरोप पर स्पष्ट मंतव्य के युक्तियुक्त एवं मुखरित आदेश पूर्व में पारित आदेश से बिना प्रभावित हुए पारित करें।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ वाद को निम्न न्यायालय में पुनः सुनवाई एवं आदेश हेतु वापस करते हुए अपील को निष्पादित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख निम्न न्यायालय को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, 19/5
रोहतास, (सासाराम)।

समाहर्त्ता, 19/5
रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1650 / विधि, दिनांक 19.05.18

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम को उनके पत्रांक-275 दि०-12/5/17 से प्राप्त निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/18
उप समाहर्त्ता, विधि
रोहतास, सासाराम